न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला–जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सुमेरसिंह पुत्र माधोसिंह, जाति राजपूत, निवासी टेकरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर (राज.)		1. देवकंवर पत्नि इन्द्रसिंह, 2. पूनमसिंह गोदपुत्र हुकमसिंह, 3. सांवलसिंह पुत्र कोलसिंह, 4. उगमसिंह पुत्र कोलसिंह, 5. रेवंतसिंह पुत्र जवारसिंह, 6. देरावरसिंह पुत्र कोजारसिंह, 7. रामकंवर पत्नि कोजारसिंह, जाति राजपूत, निवासी टेकरा, तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.) 8. शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, शाखा सिहड़ा, तहसील बाप 9. श्रीमान् तहसीलदार, बाप

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर :– 04/2019

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी प्रार्थी की ओर से
2. श्री मदनसिंह भाटी अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
3. अप्रार्थी सख्या 2 ता 8 की ओर से कोई उपस्थित नही

दिनांक : 15.11.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थीगण अदालत हाजा में एक नियमित राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 136/1 रकबा 53.09 बीघा, व अप्रार्थी सख्या 3 ता 7 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 12.11 बीघा सहरद मौजा कालूसिंह नगर पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में स्थित है। खसरा नम्बर 136/1 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी सख्या 2 का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी सख्या 1 का खरीदसुदा 1/4 हिस्सा है। खसरा नम्बर 136/1 एव 136 वर्तमान जमाबंदी में अलग अलग दर्ज है लेकिन नक्शा ट्रैस में सामलाती ही है। प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की पूर्व खातेदार भंवरकंवर पत्नी माधोसिंह एवं पवनकंवर पत्नी माधोसिंह ने उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना ही उक्त भूमि का बेचान कर दिया। उक्त भूमि को

2019/00971

अप्रार्थी सख्या 1 ने खरीद कर ली है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है और दिनांक 25.12.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर अपने साथ अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये और प्रार्थी को धमकी दी कि मैनें उक्त भूमि को खरीद कर लिया है और मुझे विक्रय के समय यह भूमि ही बताई गई है। इसलिये आप उक्त भूमि का कब्जा छोड़ दो नही तो हम आपको उक्त भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल कर देंगे इसलिये प्रार्थी अपने पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है कि अप्रार्थी सख्या 1, ग्राम कालूसिंह नगर के खसरा नम्बर 136/1 रकबा 53.09 बीघा भूमि में चले आ रहे प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 ता 8 की ओर से बावजूद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं हुआ, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि में कोई आवासीय ढाणीयां, पानी के टांके नहीं बनाये हुवे है और न ही प्रार्थी का निवास है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 का उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 136/1 रकबा 53.09 बीघा भूमि में अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि क्रय करने से पूर्व विक्रेतागण के अलग कब्जा काश्त अनुसार ही अप्रार्थी सख्या 1 का कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी सख्या 1 का प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करने के कथन गलत है। उक्त भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य हिस्सा माफिक कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाना न्यायोचित है। अप्रार्थी सख्या 1 प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर कतई उतारू नहीं है तथा न ही अप्रार्थी सख्या 1 ने दिनांक 25.12.2018 को प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि खरीद लेने और प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी ही दी न ही आईन्दा बेदखल करने की धमकी दी है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कोई आघात नहीं हुआ, न ही इसकी कोई सम्भावना है। प्रार्थी अप्रार्थी सख्या के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थी विक्रेताओं से न्यून प्रतिफल में उक्त भूमि स्वयं क्रय करना चाहते थे लेकिन विक्रेताओं ने उचित प्रतिफल में अपनी भूमि अप्रार्थी सख्या 1 को विक्रय कर दी जिसकी रंजिश को लेकर प्रार्थी अप्रार्थी सख्या 1 को अत्यंत आर्थिक नुकसान पहुंचाकर दबाब बनाकर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की 1/4 हिस्सा भूमि से वंचित करने एवं छोडने के लिये मजबूर कर उक्त भूमि कम कीमत में खरीद करना चाहता है। ग्राम कालूसिंह नगर के खसरा नम्बर 136/1 रकबा 53.09 बीघा भूमि में दिनांक 11.01.2019 को जारी आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली बहस में रखी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी ने ग्राम कालूसिंह नगर के खसरा नम्बर 136/1 रकबा 53.09 बीघा भूमि के सम्बन्ध में एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय में पेश किया है तथा दावा के साथ ही उपरोक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के लिये माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसमें माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.01.2019 को अंतरिम स्थगन

कलक्टर
(जोधपुर) राज.

आदेश जारी किया हुआ है। उक्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ है फिर भी अप्रार्थी सख्या 1 ने उक्त भूमि के 1/4 हिस्सा की भूमि को खरीद लिया। जब उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ तो विक्रेता का हिस्सा किस स्थान पर है, स्पष्ट नहीं है तो क्रेता का हिस्सा कैसे स्पष्ट होगा कि उसका कब्जा उक्त भूमि में कहा पर था। वर्तमान में खरीददार का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। क्रेता के पक्ष में नामांतरकरण नही हुआ है। वर्तमान में खरीददार प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर काबिज होना चाहता है जो कतई न्यायोचित नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ माफिक निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 के सादर फरमाई जावे। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक नजीरे भी पेश की, RRD 1996 P.No. 148, RRT 2011-12 SUPP. P.N 662., RRT 2004 VOL. P.N. 660, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ALR 1966.

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने हमें उक्त वाद में सहखातेदार मानकर ही पक्षकार बनाया है और रेवेन्यू रेकर्ड में नाम ना चढे, इसी मकसद से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 एक परिवार के आदमी है। विक्रेता का नाम रेवेन्यू रेकर्ड में अभी तक चल रहा है, जिनको इन्होनें पक्षकार नही बनाया है बेचान के लिये बंटवाड़ा करवाना आवश्यक नहीं है वो कभी भी अपना हिस्सा बेच सकता है दावे तथा प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि विक्रेता ने मात्र अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है और बंटवाड़ा भी बाई मीटस एण्ड बाउण्डस में मांगा है। काश्त अपने अपने हिस्से अनुसार इनका चला आ रहा है सिर्फ नक्शा में सामलाती है परन्तु कब्जा–काश्त अलग है। प्रार्थी के कोई दखल अंदाजी नहीं की है। अप्रार्थी सख्या 1 कोई लाभ सरकार से नहीं ले सके। विक्रेताओं के बेचान के पहले इस भूमि बाबत् कोई विवाद नहीं हुआ। प्रार्थी यह जमीन खरीदने का इच्छुक था प्रार्थी को विक्रेता ने उक्त भूमि का बेचान नहीं किया। मात्र इसी कारण से प्रार्थी ने यह दावा/प्रार्थना पत्र पेश कर अन्तरिम आदेश जारी करवाया है, जो खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी ने पुनः अपनी बहस में बताया कि विक्रेताओं द्वारा बिना विभाजन के भूमि विक्रय करने से विवाद उत्पन्न हुआ है जब विक्रेता का ही हिस्सा स्पष्ट नहीं है तो क्रेता का कहां कब्जा लेगा। जब तक हिस्सा नहीं तय होगा तब तक क्रेता किसी कब्जा प्राप्त करने का हकदार नहीं है और जब तक न्यायालय से विधिवत बंटवाड़ा होकर प्रत्येक खातेदार के हिस्से अनुसार अलग–अलग खाता कायम नहीं हो जाता है तब तक प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस्तदुआ माफिक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने पुनः अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने घोषणा का वाद पेश नहीं किया है। बंटवाड़ा के वाद में अजनबी क्रेता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा भूमि खरीद करने के पश्चात् अंतरिम स्थगन आदेश के कारण आज दिन तक नामांतरकरण नहीं भरा गया है क्योंकि मौके पर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 का पति आर्मी में सर्विस करता है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस पर चिन्तन किया गया। माननीय न्यायालय की नजीरों का

कलक्टर
जयपुर, राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manaveer Singh
Date: 2019.12.09 17:16:05 IST
Reason: SelfAttested
Location:

ध्ययन किया गया। बाद चिन्तन, नजीरों के अध्ययन व अवलोकन करने पर पाया गया क प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 136/1 कबा 53.09 बीघा सरहद मौजा कालूसिंह नगर पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप जिला ोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि नक्शा ट्रैस में सामलाती दर्ज चली आ रही है और उक्त ूमि का बिना विधिवत् बंटवाड़ा करवाये पूर्व खातेदारों द्वारा अपने 1/4 हिस्सा की भूमि ा अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर दिया तथा उक्त बेचान के पश्चात् मौके पर विवाद ला रहा है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् तीनों बिन्दुओं पर विचार किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है और अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का 1/4 हिस्सा पूर्व खातेदारों से खरीद किया हुआ है और उक्त भूमि का मौके पर विधिवत् बंटवाड़ा भी नहीं हो रखा है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थी उक्त भूमि का सहदायी है, अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी सहखातेदार है तथा उक्त भूमि प्रार्थी एवं पूर्व खातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और पूर्व खातेदारों द्वारा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवाड़ा करवाये अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को दिया है और अप्रार्थी सख्या 1 का कब्जा निश्चित स्थान पर तय नहीं होने से उसके द्वारा प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल कर कब्जा कर लिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी जिसकी भरपाई आर्थिक रूप से किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम कालूसिंह नगर पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 136/1 रकबा 53.09 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद रहेगे। पत्रावाली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 15.11.2019 को सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप, जोधपुर

सहायक कलेक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.